प्रेस नोट थाना चकेरी कमिश्नरेट कानपुर नगर

थाना चकेरी पुलिस टीम ने 04 अभियुक्तों को 10 किग्रा अफीम(कीमत लगभग-60 लाख रुपये) के साथ किया गिरफ्तार

आज दिनांक 29.06.2024 को मुझ प्रभारी निरीक्षक द्वारा एन.सी.बी.लखनऊ टीम के निरीक्षक श्री कौशलेन्द्र मिश्रा द्वारा मुझ प्र0नि0 के सीयूजी फोन पर जरिये दूरभाष सूचना दिया कि मै व एनसीबी टीम के अधिकारी कर्मचारीगण अन्तराष्ट्रीय ड्रूस सप्लाइयर का पीछा कर रहे है जो कि झारखण्ड से आ रहे है जो आपके थाना क्षेत्र चकेरी नेशनल हाईवे से होते हुए जाने वाले है जिनके पास काले रंग की हुण्डई गाडी है जो कि झारखण्ड नम्बर की है इस सूचना पर मुझ प्र0नि0 द्वारा थाना चौकी रामादेवी के अधिकारी / कर्म0गण व थाना चकेरी पुलिस को बैरियर लगाकर चेकिंग हेतु अवगत कराया गया चेकिंग कुछ समय पश्चात एक काले रंग की हुण्डई कार जिसका नम्बर JH 01 FD 5222 VERNA SX आती दिखायी दी जिसके पीछे एनसीबी टीम के अधिकारी / कर्म0गण आते दिखाये दिये व इसारा किया कि यही वह गाडी है, उक्त गाडी में बैठे व्यक्तियों से पूछतांछ की गयी व गाडी को गहनता से एनसीबी टीम व थाना चकेरी पुलिस टीम द्वारा चेक किया गया एवं गाडी में बैठे व्यक्तियों से कडाई से पूछतांछ की गयी तो उक्त व्यक्तियों द्वारा बताया कि गया कि गाडी के बोनट नीचे दस पैकेट एक एक किलो के अफीम उक्त गाडी में छिपा हुआ है उक्त व्यक्तियो से इसके बारे में गहराई से पूछतांछ की गयी व बोनट को खुलवाकर पेच निकलवाये गये तो बोनट के अन्दर दस पैकेट अफीम सफेद पन्नी में रखी हुई बरामद हुई जिसको इलेक्ट्रानिक विवेचनात्मक किट में मौके पर तौल किया गया तो एक पैकेट एक किलो की पायी गयी है जो कि कुल दस पैकेट / दस किलो है, जिसकी अन्तराष्ट्रीय कीमत 60 लाख रुपया की है।

उक्त प्राप्त पैकेट अफीम के सम्बन्ध में व्यक्तियों/अभियुक्तगणो से कडाई से पूछतांछ की गयी तो बताया हम लोग विजयगिरि की पहाड़ी से अफीम खरीद कर आंवला बरेली में मेराज अहमद को बेचने के लिए जा रहे थे यह काम हम लोग करीब 01 वर्षों से कर रहे है उक्त कार्य से कमाये हुए पैसे से ही हम लोगो ने 12 लाख बीस हजार की हुंडई वर्ना कार खरीदी है। एनसीबी टीम द्वारा मेराज अहमद जो कि अफीम की खरीददारी करता है उपरोक्त मेराज अहमद को भी एनसीबी टीम बरेली से गिरफ्तारी किया गया है अफीम की खरीद फरोख्त करने वाले अभियुक्तगों को एनसीबी टीम लखनऊ द्वारा बडी होशियारी / लगन मेहनत से अभियुक्तगणों को माल मुल्जिमान के साथ गिरफ्तार किया गया है जिनको समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. रामनाथ मुंडा उम्र 27 वर्ष पुत्र श्री परता मुंडा ग्राम- हूंट, थाना- अड़की पोस्ट- अड़की, जिला- खूंटी, झारखंड, पिन कोड- 835225
2. रतन सिंह मुंडा उम्र 28 वर्ष पुत्र श्री फगुवा मुंडा ग्राम- रांगरोंग मकान नंबर- 106 थाना- मारंगहादा, जिला- खूंटी- झारखंड, पिन कोड- 835210
3. करम सिंह मुंडा उम्र- 32 वर्ष पुत्र स्व. हरि सिंह मुंडा गांव- हूंट, थाना- अड़की, जिला- खूंटी, झारखण्ड पिन कोड- 835225
4. मेराज अहमद उम्र – 32 वर्ष पुत्र मेहंदी हसन निवासी- मऊ, चंद्रपुर, थाना आंवला, जनपद बरेली- पिन कोड- 243303

बरामदगीः-

10 किग्रा अफीम(कीमत लगभग 60 लाख रुपये)

एक हुण्डई कार नं0- JH 01 FD 5222 VERNA SX

उपरोक्त अभियुक्तगणों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

मु0अ0सं0 16/2024 धारा 8/18/25/29 एनडीपीएस एक्ट एनसीबी लखनऊ उ0प्र0

मु0अ0सं0 121/17 धारा 18/8 एनडीपीएस एक्ट थाना आंवला जनपद बरेली अभियुक्त मेराज अहमद के खिलाफ

गिरफ्तार करने वाली टीम के अधि0/कर्म0गणः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अशोक कुमार दुबे थाना चकेरी कानपुर नगर
2. निरीक्षक श्री कौशलेन्द्र मिश्रा एनसीबी टीम प्रभारी लखनऊ
3. उ0नि0 श्री मनोज कुमार एनसीबी टीम लखनऊ
4. उ0नि0 श्री मनोज सिह एनसीबी टीम लखनऊ